वित्तीय स्वीकृति

संख्या-11/2015/1122/52-2-2015-2(61)/15

प्रेषक,

जय प्रकाश पाण्डेय
विशेष कार्याधिकारी
उ0प्र0शासन।

सेवा में,

निदेशक,
अल्पसंख्यक कल्याण,उत्तर प्रदेश
इन्दिरा भवन, लखनऊ।

अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-2 लखनऊः दिनांक 30 अक्टूबर, 2015

विषयः- वित्तीय वर्ष 2015-16 में अल्पसंख्यक समुदाय के कब्रिस्तानों/अन्त्येष्टि स्थलों की भूमि की सुरक्षा योजना के अन्तर्गत चहारदीवारी निर्माण हेतु वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-907/व0आ0-31(88)/2012-।। दिनांक 13 जुलाई, 2015 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2014-15 में उपरोक्त योजना हेतु जनपदों को आवंटित आयोजनागत मद में प्राविधानित धनराशि रू0 2,00,00,00,000/-(रूपया दो सौ करोड़ मात्र) की तरह ही वित्तीय वर्ष 2015-16 में आवंटित प्राविधानित धनराशि रू0 2,00,00,00,000/-(रूपया दो सौ करोड़ मात्र) को निम्नलिखित तलिका के अनुसार तथा प्रस्तर-2 मे उल्लिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन आवंटित करते हुये आपके निवर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः-

(धनराशि लाख रूपये मे)

क्र0सं0	मण्डल का नाम एवं कोड संख्या	जनपद का नाम	कुल अल्पसंख्यक जनसंख्या	कुल जनसंख्या के सापेक्ष प्रतिशत	वर्ष 2015-16 में प्राविधानित धनराशि रू0 200 करोड के सापेक्ष आनुपातिक धनराशि की फांट का आवंटन की स्वीकृति	वर्ष 2015-16 में प्राविधानित धनराशि रू0 200 करोड के सापेक्ष आनुपातिक धनराशि की फांट का आवंटन की स्वीकृति
1	2	3	4	5	6	7
1	आगरा	आगरा	373891	1.16	140.1499	140.1499
2		फिरोजाबाद	288051	0.90	108.737	108.737
3		मैनपुरी	110329	0.34	41.07842	41.07842
4		मथुरा	175695	0.55	66.45039	66.45039
5	अलीगढ	अलीगढ	552738	1.72	207.8085	207.8085
6		एटा	141828	0.44	53.16031	53.16031

http:shasanadesh.up.nic.in

7		हाथरस	140721	0.44	53.16031	53.16031
8		कासगंज	212742	0.66	79.74046	79.74046
9	आजमगढ	आजमगढ	604911	1.88	227.1395	227.1395
10		बलिया	187989	0.58	70.07495	70.07495
11		मऊ	358457	1.12	135.3171	135.3171
12	इलाहाबाद	इलाहाबाद	647661	2.02	244.0541	244.0541
13		कौशाम्बी	176328	0.55	66.45039	66.45039
14		प्रतापगढ	383459	1.19	143.7745	143.7745
15		फतेहपुर	310259	0.97	117.1943	117.1943
16	कानपुर	इटावा	105408	0.33	39.87023	39.87023
17		औरैया	88018	0.27	32.6211	32.6211
18		कन्नौज	223249	0.69	3200.00	3200.00
19		कानपुर देहात	151540	0.47	56.78488	56.78488
20		कानपुर नगर	715795	2.23	269.4261	269.4261
21		फर्रूखाबाद	243554	0.76	91.82235	91.82235
22	गोरखपुर	कुशीनगर	496959	1.55	187.2693	187.2693
23		गोरखपुर	360481	1.12	135.3171	135.3171
24		देवरिया	313447	0.98	3000.00	3000.00
25		महाराजगंज	379019	1.18	142.2563	142.2563
26	चित्रकूट	चित्रकूट	28781	0.09	10.8737	10.8737
27		बांदा	128905	0.40	48.32755	48.32755
28		महोबा	48795	0.15	18.12283	18.12283
29		हमीरपुर	83981	0.26	31.41291	31.41291
30	झांसी	जालौन	154175	0.48	57.99309	57.99309
31		झांसी	151641	0.47	57.78488	57.78488
32		ललितपुर	50931	0.16	19.33102	19.33102
33	देवीपाटन	गोण्डा	538634	1.68	202.9757	202.9757
34		बलरामपुर	623337	1.94	234.3886	234.3886
35		बहराइच	843375	2.62	316.5455	316.5455
36		श्रावस्ती	303217	0.94	113.5698	113.5698
37	फैजाबाद	अम्बेडकर नगर	337102	1.05	126.8598	126.8598
38		फैजाबाद	309434	0.96	115.9861	115.9861
39		बाराबंकी	599716	1.87	225.9313	225.9313
40		सुल्तानपुर	429146	1.34	161.8973	161.8973
41	बरेली	पीलीभीत	470083	1.46	176.3956	176.3956
42		बदायू	566563	1.76	212.6412	212.6412
43		बरेली	1272545	3.96	478.4428	478.4428
44		शाहजहॉपुर	517761	1.61	194.5184	194.5184

http://sirsaanadesh.up.nic.in

45	बस्ती	बस्ती	320835	1.00	120.8189	120.8189
46		सन्तकबीर नगर	346236	1.08	130.4844	130.4844
47		सिद्वार्थनगर	610904	1.90	229.5559	229.5559
48	मुरादाबाद	जे0पी0 नगर	600896	1.87	225.9313	225.9313
49		बिजनौर	1364274	4.24	512.2721	512.2721
50		मुरादाबाद	1142458	3.55	1000.00	1000.00
51		सम्भल	715151	2.23	1000.00	1000.00
52		रामपुर	1017996	3.17	1000.00	1000.00
53	मेरठ	गाजियाबाद	538092	1.67	201.7675	201.7675
54		हापुड़	289742	0.90	108.737	108.737
55		गौतमबुद्वनगर	172676	0.54	65.2422	65.2422
56		बागपत	308250	0.96	115.9861	115.9861
57		बुलन्दशहर	625688	1.95	235.5968	235.5968
58		मेरठ	1031110	3.21	387.8286	387.8286
59	लखनऊ	उन्नाव	301912	0.94	113.5698	113.5698
60		लखीमपुर खीरी	722771	2.25	271.8425	271.8425
61		रायबरेली	293452	0.91	109.9452	109.9452
62		लखनऊ	792528	2.47	298.4226	298.4226
63		अमेठी	159072	0.49	59.20125	59.20125
64		सीतापुर	719817	2.24	270.6364	270.6364
65		हरदोई	465996	1.45	175.1874	175.1874
66	वाराणसी	गाजीपुर	314088	0.98	118.4025	118.4025
67		चन्दौली	172408	0.53	65.2422	65.2422
68		जौनपुर	423359	1.32	159.4809	159.4809
69		वाराणसी	509243	1.58	190.8938	190.8938
70	विन्ध्यांचल	मिर्जापुर	162337	0.51	61.61763	61.61763
71		सन्तरविदासनगर	165309	0.51	61.61763	61.61763
72		सोनभद्र	87803	0.27	32.6211	32.6211
73	सहारनपुर	मुजफ्फरनगर	904665	2.81	339.5011	339.5011
74		शामली	487127	1.52	183.6447	183.6447
75		सहारनपुर	1173091	3.65	440.9889	440.9889
		योग	**32139937**	**100.00**	**20000.00**	**20000.00**

2- (1) स्वीकृत की जा रही धनराशि को किसी अन्य मद में व्यय नहीं किया जायेगा। इस संबंध में वित्तीय हस्त पुस्तिका एवं बजट मैनुअल नियमों के अन्तर्गत, यदि शासन या अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति आवश्यssक हो, तो उसे प्राप्त करने के उपरान्त ही आहरित/व्यय किया जायेगा।

http://sfcsamadesh.up.nic.in

(2) स्वीकृत की जा रही धनराशि निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उत्तर प्रदेश द्वारा अपेक्षित फॉट के अनुसार सम्बन्धित जनपदों के जिलाधिकारियों के निवर्तन पर रखी जायेगी तथा जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी जनपद हेतु आवंटित धनराशि का ब्यय, अधिकृत निर्माण एजेन्सी द्वारा प्राप्त आगणन के अनुसार तथा जिलाधिकारी के अनुमोदन के उपरान्त किया जायेगा।

(3) उक्त स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग शासनादेश संख्या-1052/52-2- 2012-2(69)07 टीसी0-3, दिनांक 10 सितम्बर, 2012 में दी गयी व्यवस्थानुसार की जायेगी।

(4) उक्त स्वीकृत की जा रही धनराशि से योजनान्तर्गत अल्पसंख्यक समुदायों के सार्वजनिक कब्रिस्तानों/अन्त्येष्टि स्थलों, जो exclusively उन्हीं के द्वारा प्रयोग में लाया जा रहा हो, के चहारदीवारी के निर्माण पर स्वीकृति आगणन के अनुसार ही व्यय की जायेगी, निजी कब्रिस्तानों/अन्त्येष्टि स्थलों पर व्यय नहीं की जायेगी।

(5) स्वीकृत की जा रही धनराशि गत वित्तीय वर्ष 2013-14 एवं वर्ष 2014-15 की अवशेष धनराशि, जो डी.आर. डी.ए. के पी.एल.ए. में रखी है, के ब्यय हो जाने के पश्चात् कार्यदायी संस्था द्वारा उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के उपरान्त ही जिलाधिकारी द्वारा कार्यदायी संस्था को नियमानुसार अवमुक्त की जायेगी।

(6) उपलब्ध धनराशि से सर्व प्रथम पूर्व में चयनित तथा निर्माणाधीन कबिस्तानों/ अन्त्येष्टि स्थलों की चहारदीवारी का निर्माण कार्य पूर्ण कराया जायेगा, तत्पश्चात उपलब्ध करायी जा रही धनराशि से नये कब्रिस्तानों/अन्त्येष्टि स्थलों की चहारदीवारी का निर्माण कार्य कराया जायेगा।

(7) नये चयनित कब्रिस्तानों/अन्त्येष्टि स्थलों की चहारदीवारी का निर्माण कार्य, माडल एस्टीमेट/डिजाइन के प्रेषण विषयक शासनादेश संख्या-1837/52-2-2013- 2(69)/2007, दिनांक 14.10.2013 में दी गई ब्यवस्था के अनुसार, कराया जायेगा।

(8) स्वीकृत की जा रही धनराशि के व्यय के सम्बन्ध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2015/बी-1-925/दस-2015 -231/2015, दिनांक 30.03.2015 मे दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(9) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय करते समय शासकीय व्यय में मितव्ययता सम्बन्धी समय-समय पर निर्गत शासनादेशों विशेषकर शासनादेश संख्या-सी0ए0 -934/दस-2008 मित0- 1/2007, दिनांक 02.11.2008 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(10) योजनाव्तगत कराये जाने वाले निर्माण कार्य लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित अद्यतन दरों/शिड्यूल-आफ-रेट एवं विशिष्टियों के आधार पर ही कराया जायेगा।

(11) जिलाधिकारी द्वारा समय-समय पर कब्रिस्तानों /अन्त्येष्टि स्थलों की चहारदीवारी के निर्माण कार्यो की जांच करायी जायेगी ताकि निर्माण कार्य अधिक से अधिक गुणवत्तापूर्ण हो । चहारदीवारी निर्माण एवं अवमुक्त धनराशि के व्यय के संबंध में उपयोगिता प्रमाण-पत्र/व्यय विवरण सहित, मासिक प्रगति आख्या जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के द्वारा, निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग,उ0प्र0 के माध्यम से शासन को नियमित रूप से उपलब्ध कराया जायेगा।

http://shasanadesh.up.nic.in

3- उक्त के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-48 के लेखा शीर्षक "4235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय-60-अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम-800- अन्य व्यय-03-अल्पसंख्यक समुदाय के कब्रिस्तान/अन्त्येष्टि स्थल की चहारदीवारी का निर्माण-24-वृहत निर्माण कार्य " के नामें डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-11-1185/दस-2015, दिनांक 30-10-2015 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(जय प्रकाश पाण्डेय)
विशेष कार्याधिकारी

संख्या-11/2015/1122(1)/52-2-15-2(61)/2015, तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)/लेखा परीक्षा, प्रथम एवं द्वितीय,उ0प्र0 इलाहाबाद।
2. निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ विभाग, उ0प्र0।
3. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, वित्त/नियोजन/राजस्व विभाग, उ0प्र0 शासन।
4. सर्वे कमिश्नर वक्फ, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
6. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
7. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
8. अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उत्तर प्रदेश सुन्नी सेण्ट्रल वक्फ बोर्ड लखनऊ।
9. अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश शिया सेण्ट्रल वक्फ बोर्ड लखनऊ।
10. समस्त अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
11. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-11/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2।
12. अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-1, 3, एवं 4।
13. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(जय प्रकाश पाण्डेय)
विशेष कार्याधिकारी

http://shasanadesh.up.nic.in